रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 620] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940
No. 620] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर, 2018

**संख्या 43/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)**

**सा.का.नि. 845(अ).**—जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (संक्षेप में चीन पीआर) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "ग्लास फाइबर और इससे बनी वस्तुएं" जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7019 के अंतर्गत आती हैं के आयात पर अधिसूचना संख्या 15/04/2015-डीजीएडी, दिनांक 06 जुलाई, 2016, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में चीन पीआर में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर और इससे बनी वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क को लगाए जाने की सिफारिश की है।

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने चीन पीआर में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर और उससे बनी वस्तुओं पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 48/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 01 सितम्बर, 2016, जिसे दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/25/2017-डीजीएडी, दिनांक 12 फरवरी, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था के तहत, ग्लास फाइबर और उससे बनी वस्तुओं पर लगे प्रतिपाटन शुल्क के सर्कमवेन्शन (circumvention) के मामले में यह निर्धारित करने के लिए जांच कार्य शुरू किया था कि

क्या चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर और उनसे बनी वस्तुओं के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 48/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 01 सितम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि. 846 (अ), दिनांक 01 सितम्बर, **2016** के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को थाईलैंड (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित चॉप्ड स्ट्रैंड मैट्स या सीएसम (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7019 में आते हैं, के भारत में आयात किए जाने पर भी लागू किए जाने की जरूरत है ।

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/25/2017-डीजीएडी, दिनांक 30 जुलाई, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

**(क)** चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर के आयात पर अधिसूचना संख्या 48/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 01 सितम्बर, 2016 के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 25 (3) के अनुपालन में मैसर्स एशिया कम्पोजिट मेटेरियल (थाईलैंड) से सीएसएम के निर्यात के माध्यम से सर्कमवेन्ट (**Circumvent**) कर दिया गया था;

**(ख)** एसएम का निर्यात जांच की अवधि के दौरान पाटित मूल्य पर किया गया था

**(ग)** थाईलैंड से सीएसएम का किए गए निर्यात के कारण चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर पर सीमा शुल्क की अधिसूचना संख्या 48/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 01 सितम्बर, 2016 के तहत अपनाए जा रहे वर्तमान पाटनरोधी उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

और उन्होंने भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 48/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 01 सितम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि. 846(अ), दिनांक 01 सितम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशित किया गया था, के तहत चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर और उससे बनी वस्तुओं के आयात पर लगाए जा रहे वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु पर भी लगाए जाने की सिफारिश की है; अत: अब

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 27 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1), **(1**क) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट प्रकार की है और जो कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष के अंतर्गत आती हैं और कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और कॉलम (8) में तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्रतिशत के लागू करने पर प्राप्त राशि के बराबर प्रति�पाटन शुल्क लगाती है, यथा –

**सारणी**

| क्र.सं. | शीर्ष | वस्तु का विवरण | प्रकार | मूलत: उत्पाद का देश | निर्यातक देश | उत्पादक | निर्यातक | सीआईएफ मूल्य का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | 7019 | ग्लास चाप्ड् स्ट्रैंड्स मैट्स (सीएसएम) | ग्लास चाप्ड् स्ट्रैंड्स मैट्स (सीएसएम) | थाईलैंड | थाईलैंड | एशिया कम्पोजिट मटेरियल्स (थाईलैंड) कं. लि. | एशिया कम्पोजिट मटेरियल्स (थाईलैंड) कं. लि. | 47.15 |
| 2 | 7019 | ग्लास चाप्ड् स्ट्रैंड्स मैट्स (सीएसएम) | ग्लास चाप्ड् स्ट्रैंड्स मैट्स (सीएसएम) | थाईलैंड | थाईलैंड | एशिया कम्पोजिट मटेरियल्स (थाईलैंड) कं. लि. | कोई भी | 47.15 |

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से 31 अगस्त, **2021** तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी । बशर्ते कि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है तो और प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना में लागू विनिमय की दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अंतर्गत समय-समय पर संशोधित, में विनिर्दिष्ट हो और विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वही तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र को प्रस्तुत किए जाने की तारीख होगी ।

**[फा. सं. 354/314/2018-टीआरयू]**

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**DEPARTMENT OF REVENUE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th September, 2018

**No. 43/2018-Customs (ADD)**

**G.S.R 845(E).—** Whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of Glass Fibre and articles thereof, falling under the heading 7019 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) [hereinafter referred to as the Customs Tariff Act], originating in or exported from People's Republic of China (in short 'China PR'), the designated authority, *vide* its final findings in notification No. 15/04/2015 -DGAD, dated the 6th July 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 6th July 2016, had recommended imposition of the anti-dumping duty on Glass Fibre and articles thereof, originating in or exported from China PR.

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on Glass Fibre and articles thereof, originating in or exported from China PR, *vide*, notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.48/2016-Customs (ADD), dated the 1st September, 2016, published *vide* G.S.R. 846(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 1st September, 2016;

And whereas, the designated authority, published *vide* notification No.7/25/2017- DGAD, dated the 12th February, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, in the matter of circumvention of the anti-dumping duty imposed on imports of Glass Fibre and articles thereof, had initiated an investigation to determine the need for extending anti-dumping duty imposed on the imports of Glass Fibre and articles thereof, originating in or exported from China PR, *vide*, notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No.48/2016-Customs (ADD), dated the 1st September, 2016, published *vide* G.S.R. 846 (E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 1st September, 2016, to the imports of Chopped Strand Mats or CSM (hereinafter referred to as the 'subject goods') falling under the heading 7019 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from, Thailand (hereinafter referred to as the subject country) into India.

And whereas, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No.7/25/2017- DGAD, dated the 30th July, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that-

(a) the anti-dumping duty imposed on imports of Glass Fibre, originating and exported from China PR *vide* Customs Notification No. 48/2016-Customs (ADD) dated 1st September, 2016 was circumvented through exports of CSM from M/s Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd, Thailand pursuant to Rule 25 (3) of the Customs Tariff (Identification, Assessment And Collection Of Antidumping Duty On Dumped Articles and for Determination Of Injury) Rules, 1995 Rules;

(b) CSM has been exported at dumped prices during the period of investigation;

(c) CSM exports from Thailand has undermined the existing anti-dumping measure on Glass Fibre, originating and exported from China PR *vide* Customs Notification No. 48/2016-Customs (ADD) dated 1st September, 2016;

and has recommended imposition of existing anti-dumping duty imposed on the imports of Glass Fibre and articles thereof originating in or exported from China PR, *vide*, notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.48/2016-Customs (ADD), dated the 1st September, 2016, published *vide* G.S.R. 846 (E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 1st September, 2016, on the subject goods, originating in or exported from the subject country;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (1A) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rule 27 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, the specification of which is specified in column (4), falling under heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty equal to the amount arrived at by applying the percentage indicated in the corresponding entry (9) of the said Table, namely:-

**TABLE**

| Sl. No | Heading | Description of goods | Specification | Country of Origin | Country of Exports | Producer | Exporter | % of CIF Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | 7019 | Glass Chopped Strands Mats (CSM) | Glass Chopped Strands Mats (CSM) | Thailand | Thailand | Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd | Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd | 47.15 |
| 2 | 7019 | Glass Chopped Strands Mats (CSM) | Glass Chopped Strands Mats (CSM) | Thailand | Thailand | Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd | Any | 47.15 |

2. This notification shall remain in force up to and inclusive of the 31st August, 2021, unless revoked earlier, from the date of publication of this notification in the Official Gazette and the anti-dumping duty shall be paid in Indian currency.

**Explanation**. - For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the relevant date for determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/314/2018-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.09.12 13:20:42 +05'30'